# छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक / 4145 / गोपनीय / 2022 रायपुर, दिनांक 9/2/2022

प्रति,

समस्त केन्द्राध्यक्ष / प्राचार्य,
मुख्य परीक्षा वर्ष 2022
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छत्तीसगढ़।

**स्वाध्यायी / तृतीय अवसर में सम्मिलित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्देश**

विषय :– हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2022 के स्वाध्यायी / तृतीय अवसर में सम्मिलित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा / प्रायोजना कार्य की व्यवस्था एवं अंक प्रेषण संबंधी निर्देश।

––00––

मण्डल द्वारा संचालित हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2022 में स्वाध्यायी / तृतीय अवसर में सम्मिलित होने वाले छात्रों की **प्रायोगिक परीक्षाऐं एवं प्रायोजना कार्य निर्धारित परीक्षा समयावधि दिनॉक 02.03.2022 से 30.03.2022 के मध्य संबंधित केन्द्र / संस्था में संपन्न कराये जावें।** कृपया प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि से संबंधित विषय शिक्षकों और छात्र / छात्राओं को भी अवगत करायें। प्रायोगिक परीक्षा / प्रायोजना कार्य में अनुपस्थित परीक्षार्थियों को किसी भी दशा में विशेष अनुमति नहीं दी जावेगी और न ही दोबारा प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराई जायेगी। ऐसी स्थिति में छात्रों को अनुपस्थित ही दर्शाया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी केन्द्र / संस्था केन्द्राध्यक्ष / प्राचार्य / छात्र की होगी। प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य हेतु निम्नानुसार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें :–

1. कक्षा 10वी एवं कक्षा 12वी की प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन हेतु बाह्य परीक्षक की अनिवार्यता को समाप्त की जाती हैं।
2. आपका यह दायित्व होगा कि निर्धारित परीक्षा समयावधि में संबंधित केन्द्र / संस्था स्तर पर ही आंतरिक परीक्षक नियुक्त कर सुविधा अनुसार एक दिन में उतने ही छात्रों को बुलाकर, कोविड–19 के नियमों का पालन करते हुये प्रायोगिक परीक्षा / प्रायोजना कार्य आयोजित किया जाये, जिसमे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।
3. कोविड–19 संक्रमण के रोकथाम हेतु सभी अधिकारी / कर्मचारी एवं शाला के छात्रों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य हैं।
4. कोविड–19 संक्रमण के रोकथाम हेतु केन्द्र / राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जावे।
5. शाला को सेनेटाईज्ड कराया जाये तथा शाला के मुख्य द्वार पर छात्रों के हाथ सेनेटाईज किये जाये।
6. प्रायोगिक परीक्षा हेतु गत वर्षो की बची उत्तरपुस्तिकाओं का उपयोग करें तथा कमी होने पर स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करें।
7. प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य का आंतरिक मूल्याकंन शाला स्तर पर किया जाना है।
8. **प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य उपरांत निर्धारित अवधि में अंकों की ऑनलाईन प्रविष्टि दिनॉक 10.04.2022 तक मण्डल के पोर्टल पर करें तथा इसकी दो प्रतियॉ निकालकर संबंधित विषयो के आंतरिक परीक्षकों से मिलान कराकर हस्ताक्षरित कराये तत्पश्चात पोर्टल लॉक करे। यह ध्यान रखे कि पोर्टल लॉक करने से पूर्व सभी प्रविष्टियों को अच्छी तरह जॉच लेवें, क्योकि पोर्टल लॉक करने के पश्चात संशोधन संभव नही होगा। पोर्टल लॉक करने के पूर्व आवश्यक संशोधन कर सकते है। पोर्टल लॉक करने के पश्चात संशोधन हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन मान्य नही होगा।**

10. पोर्टल लॉक करने के उपरांत परीक्षावार / विषयवार प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य के प्राप्तांकों की सूची आंतरिक परीक्षक / संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर उपरांत लिफाफे में सील कर, **अपनी संस्था में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 06 माह तक सुरक्षित रखे।**
11. प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न होने के उपरांत हाईस्कूल परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं को सफेद कपडे में एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं को पीले कपड़े की थैली में पैक कर बण्डल बनाये तथा मण्डल के निर्देशानुसार उत्तरपुस्तिकाओं को सील करे, तत्पश्चात बाएं कोने में परीक्षा का नाम, विषय का नाम, प्रायोगिक परीक्षा वर्ष 2022 अंकित कर, **अपनी संस्था में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 06 माह तक सुरक्षित रखें।**

क्रमशः .....02

E:\Prayogik Letter Ram.Cgbse2021.Docx109

12. हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य हेतु परीक्षकों के शेष निर्देश वर्ष 2019–20 के अनुसार यथावत रहेंगे, जो कि मण्डल वेबसाईट www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध है।

**विशेष :–**

1. कृपया अंकित करें कि प्रायोगिक परीक्षा हेतु आपकी केन्द्र/संस्था पर आबंटित प्रति परीक्षार्थी हाईस्कूल के लिये रुपये 03/– एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा हेतु रूपयें 04/– की दर से (आंतरिक परीक्षक हेतु) अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है। जिसके व्यय का हिसाब मय प्रमाणित व्हाउचर पृथक से वित्ताधिकारी छ.ग. मा.शि.मं., रायपुर की ओर रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा।
2. प्रायोगिक परीक्षायें सामान्यतः दो पाली में प्रथम पाली 8.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा द्वितीय पाली समय 2.00 बजे से 5.00 बजे के मध्य संचालित की जाये। प्रायः देखा गया है कि प्रायोगिक परीक्षा के अंक उत्तरपुस्तिका के बण्डल में रख देते हैं जिससे परीक्षार्थी का परीक्षाफल RWL की श्रेणी में रुक जाता है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखे कि प्रायोगिक परीक्षा के अंक पृथक से निर्धारित लिफाफें में ही रखा जाये।

**टीप :–**

(1) गत वर्ष प्रायोगिक परीक्षा के अंको में संशोधन/सुधार हेतु कई संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुये थे। इस वर्ष ऑनलाईन पोर्टल में अंकों की प्रविष्टि करने के उपरांत अंकों की पुनः जॉच करे, अंको का मिलान 2–3 बार करें तत्पश्चात पोर्टल लॉक करे। परीक्षाफल घोषणा के बाद अंको में संशोधन/सुधार मान्य नहीं किया जावेगा।

(2) लेखक/प्रवाचक (Reader)/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा ऐसे छात्र जो 40% या उससे अधिक निःशक्त हो, को उसकी मांग के आधार पर उपलब्ध करावें।

(3) **कक्षा 12वीं में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापन कार्य एवं दो प्रोजेक्ट विद्यालय स्तर पर कराया जावे तथा मण्डल द्वारा निर्धारित योजना अनुसार 50 अंकों की परीक्षा आयोजित कर छात्रों के प्राप्त अंक दिनांक 10.04.2022 के पूर्व मण्डल के पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि की जाये।**

**नोट :– शासन द्वारा समय–समय पर जारी कोविड–19 के गाईड लाईन का पूर्णतः पालन करें।**

(हस्ताक्षर) 8/2/22

(प्रोफेसर व्ही0के0 गोयल)
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

पृ. कमांक/4146/गोपनीय/2022 रायपुर, दिनांक 9/2/2022

**प्रतिलिपिः–**

1. अध्यक्ष महोदय/सचिव के निज सचिव छ.ग. मा.शि.मं. रायपुर,
2. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, रायपुर छ0ग0,
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर,छ0ग0
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
5. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी छ.ग.मा.शि.मं. रायपुर,
6. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर, जगदलपुर छत्तीसगढ़,
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
8. समस्त सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग छ0ग0, की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
9. वित्ताधिकारी, छ.ग.मा.शि.मं. रायपुर की ओर भेज कर लिखा जाता है कि समस्त संस्थाओं को प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायें।
10. सहायक सचिव, डाटा, परीक्षा तथा संभागीय अधिकारी छ.ग.मा.शि.मं. राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. समस्त प्राचार्य, समन्वय संस्था उ0मा0वि0 छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. प्रोग्रामर, छ0ग0मा0शि0मण्डल रायपुर को भेजकर लिखा जाता है कि समस्त प्राचार्य को सूचना हेतु पत्र की प्रति मण्डल वेबासाईट/संबंधितो के संस्था आईडी में अपलोड करें एवं जिलेवार, परीक्षावार समस्त संस्थाओं द्वारा प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य के अंकों के ऑनलाईन प्रविष्टि की एक सी0डी0 तैयार कर परीक्षाफल घोषित होंने के उपरांत गोपनीय कक्ष को सौंपे।

(हस्ताक्षर) 8/2/22

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

E:\Prayogik Letter Ram.Cgbse2021.Docx110